भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – †2818

उत्तर देने की तारीख- 21/03/2022

जनजातीय आबादी का विस्थापन

†2818. श्री अब्दुल खालेक:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय आबादी के विस्थापितों का कोई आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो विस्थापन के क्या कारण है और विस्थापितों की राज्य-वार संख्या कितनी है, और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) और (ग): जहां तक भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, भारत सरकार ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) अधिनियममित किया है। उक्त अधिनियम का उद्देश्य संविधान के तहत स्थापित स्थानीय स्वशासन-संस्थाओं और ग्राम सभाओं के साथ परामर्श करना; जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है या अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है, की भूमि के अधिग्रहण के लिए एक मानवीय, सहभागी, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया के साथ भूमि के मालिकों और अन्य प्रभावित परिवारों को कम से कम परेशानी और प्रभावित परिवारों को ठीक और उचित मुआवजे की प्रदायगी सुनिश्चित करना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर), केंद्र में एक नोडल मंत्रालय है जो भूमि सुधार के क्षेत्र में निगरानी की भूमिका निभाता है। भूमि और उसका प्रबंधन, भारत के संविधान [सातवीं अनुसूची - सूची ii (राज्य सूची) - प्रविष्टि संख्या (18)] के तहत प्रदान किए गए राज्यों के अनन्य विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर चर्चा नीचे दी गई है:

(i) आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 48 के तहत डीओएलआर के आदेश संख्या 26011/04/2007-एलआरडी दिनांक 2 मार्च, 2015 के माध्यम से डीओएलआर में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति का गठन आरएफसीटीएलएआरआर, 2013 और राष्ट्रीय पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन नीति, 2007 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजनाओं और योजनाओं का कार्यान्वयन और समीक्षा के उद्देश्य से किया गया है।

(ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विस्थापन के लिए सुरक्षा उपायों के द्वारा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 41 और 42 के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं जो उनके हितों की रक्षा करते हैं। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया और पद्धतियों का भी उल्लेख है।

(iii) आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की पहली अनुसूची में भूमि मालिकों के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है। दूसरी अनुसूची में, प्रभावित सभी परिवारों (दोनों भूमि के मालिक और वे परिवार जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अधिग्रहित भूमि पर निर्भर है) के लिए, पहली अनुसूची में प्रदान किए गए मूल तत्वों के अतिरिक्त, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए मूल तत्वों का प्रावधान है। इसी तरह, तीसरी अनुसूची में पुनर्वासन के क्षेत्र में एक उचित रूप से आवास योग्य और नियोजित बंदोबस्त के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।

(iv) इसके अलावा जनजातियों के विस्थापन के मुद्दों का समाधान करने के लिए, जनजातियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए अन्य संवैधानिक और कानूनी प्रावधान, जो पहले से ही मौजूद हैं, निम्नानुसार हैं: -

i. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, की धारा 4 (5) में कहा गया है कि जैसा कि अन्यथा प्रावधान किया गया है, अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वनवासी के किसी भी वनवासी सदस्य को मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक, उसके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा।

ii. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 में यह भी प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों या विकास परियोजनाओं में भूमि का अधिग्रहण करने से पहले और ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास या पुनर्व्यवस्थापन से पहले उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों से परामर्श किया जाएगा; अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और कार्यान्वयन को राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा।

iii. भूमि अधिग्रहण आदि के कारण जनजातीय आबादी के विस्थापन के जोखिम से बचाव के लिए अनुसूची - V के तहत संवैधानिक प्रावधानों में सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल को जनजातियों से भूमि का हस्तांतरण की रोकथाम या प्रतिबंधित करने और ऐसे मामलों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भूमि का आवंटन विनियमित करने का अधिकार है।

iv. "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए, ऐसे अपराधों के मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रदान करने के और ऐसे अपराधों के पीड़ितों के पुनर्वास और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए राहत दिलाने के लिए लाया गया है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनकी भूमि या परिसर से गलत तरीके से बेदखल करना या किसी भूमि या परिसर या पानी या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उनके अधिकारों के भोग में हस्तक्षेप करना या फसलों को नष्ट करना या उनसे उपज लेना अपराध की श्रेणी में आता है और उक्त अधिनियम के तहत दंड के अधीन हैं।

*****